मिनवादी को आराजी से बेदखल कर दिया तो मिनवादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जायेगा। चूंकि वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0ई0 से पांबद कराने का अधिकारी है। निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री हु0ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी के बाबत पाबंद किया जावे कि डोल को मिसमार कर आराजी पर कब्जा नहीं करे, कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें ना ही मिनवादी के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार से रूकवट पैदा नहीं करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण ने जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश किया। मुताबिक जवाब दावा प्रतिवादीगण ने वादी के जिमनों को दाहराते हुए अस्वीकार किया। साथ ही वादी की विवादित आराजी से मिनप्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है, स्वीकार किया। वादी ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है इसलिए वादी को कोई सुविधा का संतुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस पैदा नहीं होता है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना ही वादी किसी भी प्रकार से, मिनप्रतिवादीगण हु0ई0द0 से पाबंद कराने का अधिकारी है। वाद वादी काबिल खारिज है का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण विवादित आराजी से गैरवास्ता शख्स है जिनका उक्त आराजी से किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को हु0ई0द0 से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस अपने जवाब के तथ्यों का दोहराते हुए गलत तथ्यों पर दावा पेश किये जाने की स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार लेना–देना नहीं होना भी स्वीकार किया। वकुलाय की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार योग पाये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है एवं आराजी ख0नं0 2532/572 रकबा 0.13 है 2520/555 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर के बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0द0

Scanned by CamScanner

सदैव–सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार से ज़बरन कब्जा नहीं करे, ना ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ही करें, ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से रूकावट ही पैदा करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद रहे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05.03.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner